न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान् श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 122/2005
GCMS NO. : 2005/00021

–:: वादीगण ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. रामदीन पुत्र दयाल के का0मु0		1. केलाराम पुत्र भँवरूराम
1/1. लखाराम पुत्र रामदीन		2. घासीराम पुत्र भँवरूराम
1/2. सुखदेव पुत्र रामदीन		3. ढगलाराम पुत्र छगनाराम
1/3. दौलतराम पुत्र रामदीन		4. छोटूराम पुत्र नारायणराम
1/4. दुर्गादेवी पुत्री रामदीन		5. चम्पालाल पुत्र भोलाराम
1/5. मंजू पुत्री रामदीन		6. बाबूलाल पुत्र भँवरूराम
2. किसनाराम पुत्र दयाल		7. मोहनलाल पुत्र बीदाराम के का0मु0
3. जस्साराम पुत्र दयाल		7/1. ढगलाराम पुत्र मोहनलाल
जातियान– जाट, निवासीगण– फालका, तहसील– जैतारण, जिला ब्यावर।		7/2. भगवती पुत्री मोहनलाल
		7/3. अनोप पुत्री मोहनलाल
		7/4. नोरती पुत्री मोहनलाल
		7/5. इन्द्रा पुत्री मोहनलाल
		7/6. दरियाव पुत्री मोहनलाल
		जातियान– बावरी, निवासीगण– पिपाड़ा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, **तारीख रजू:.12/12/2005**

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 29/07/2024**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा फालका तहसील जैतारण में वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 288, 431, 443, 1022, 1024, 1027, 1029 कुल रकबा 89–11 बीघा आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार काश्तकार वादीगण ही है, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 की पेश है। वादीगण की कृषि का वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, वादीगण की कृषिगण की कृषि के खसरा नम्बर 1027, 1024 में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1027 व खसरा नम्बर 1026 के बीच से होता हुआ है व खसरा नम्बर 1024 के रकबा की मांठ व खसरा नम्बर 1026 की माठ पर मौके पर कोई रास्ता नहीं निकलता है व न ही मौके पर कभी रास्ता के अवशेष है। वादीगण के खसरा नम्बर 1027 की पूर्वी और माठ 100

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

फीट में पत्थरों की पक्की दीवार है, जो पुरानी है व इसके आगे खसरा नम्बर 1027, 1024 की पूर्वी ओर की मांठ वक्त सैटलमेन्ट के पूर्व से पुरानी खन्दक लगी हुई है तथा इस खन्दक पर कांटो की पुरानी बाड़ है तथा इस प्रकार वादीगण की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1027 को 1024 में से व माठ से प्रतिवादीगण के श्मशान खसरा नम्बर 1025/1 में जाने का कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में नहीं है व न कभी था। वादीगण से वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत फालका द्वारा व्यक्तिगत व राजनैतिक द्वेष भावना से हानि पहुंचाने की नियत से प्रतिवादीगण से मिलकर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में से जानबुझ कर नये सिरे से खसरा नम्बर 1025/1 गै0मु0 श्मशान जो प्रतिवादीगण की जाति के है, जिसमें से जाने का रास्ता कायम करना चाहते है, जो मौके पर वादीगण की खातेदारी की भूमि के पूर्वी और माठ पर/खन्दक पर कोई रास्ता नहीं हैं खसरानम्बर 1025/1 गै0मु0 श्मशान का कदीमी रास्ता फालका से पीपाड़ा जाने वाली रास्ते के दक्षिणी दिशा में नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 1023 की पूर्वी माठ बिन्दु ए से बी से खसरा नम्बर 1025/1 में जाया जा सकता है व खसरा नम्बर 1025 गै0मु0 नाडी है। प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों से इसी रास्ते से श्मशान में आते जाते थे जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी को पीले रंग से बताया है इसी प्रकार प्रतिवादीगण अपने आवासीय घरों से खसरा नम्बर 1030, 1031 अगौर से होते हुए कम दूरी खसरा नम्बर 1025 की पूर्वी माठ व खसरा नम्बर 1036 की पश्चिमी माठ जहां से खसरा नम्बर 1025/1 श्मशान में जाते व वर्तमान में प्रतिवादीगण अपने श्मशान नक्शे में बताये सी से डी लाल रंग से बताया है, जहां से खसरा नम्बर 1025/1 श्मशान में जाते है व वर्तमान में प्रतिवादीगण अपने श्मशान नक्शे में बताये सी से डी माठ से ही मुर्दे दाह संस्कार हेतु ले जाते है। वादीगण के खसरा नम्बर 1027 व 1024 की माठ को नजरी नक्शे में बिन्दू ई एफ जी से दर्शाया है जो आसमानी रंग से दर्शाया है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1027 व 1024 के किसी भू भाग में कानूनन प्रतिवादीगण कोई हक व अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति है तथा वर्तमान में सरपंच ग्राम पंचायत फालका की सह से सिखावट में आकर, जबरदस्ती लाठी के बल पर खेतों के बीच से व नये सिरे से रास्ता कायम करना चाहते हैं वादीगण वर्तमान सरपंच के विरोधी पाटी के समर्थक है, इस कारण से वादीगण को येनकेन प्रकारेण से हानि पहुंचाना चाहते है, जबकि वादीगण गलत व गैर कानूनी कृत्य किसी भी सुरत में नहीं होने देगें। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दांजी करते है, हर समय लड़ाई झगड़ा करने पर अमादा होते है। इतना ही नहीं दिनांक 25.11.2005 को सभी प्रतिवादीगण वादीगण की कृषि भूमि पर आये व वादीगण की कृषिभूमि के पूर्वी माठ/खन्दक जो नक्शे में बिन्दू ई एफ जी जो जबरदस्ती बिखरने लगे व नये सिरे से रास्ता निकालने बाबत् झगड़ा टन्टा करने लगे तब वादीगण ने ऐसा करने से मना किया, तब वादीगण को झूठे मुकदमें में फसाने की भी ऐलानिया धमकी दी तब वादीगण को उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत करना पड़ा। बिनाय वाद दिनांक 25.11.2005 को प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर आये व खातेदारी खसरा नम्बर 1027, 1024 की माठ पूर्वी दिशा को बिखोरने लगे व नये सिरे से रास्ता निकालने बाबत् लड़ाई झगड़ा करने पर अमादा हुए, तब बमुकाम फालका तहसील जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र में है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

मिसल है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर उसमें कथन किया है कि वादपत्र के पदसंख्या एक में वर्णित खसरा नम्बर 1027 व 1024 की पूर्वी माठ के पास स्थित खसरा नम्बर 1026 व 1027 व खसरा नम्बर 1026 व 1024 की बीच की माठ से होकर खसरा नम्बर 1025/1 गैर मुमकिन श्मशान भूमि में जाने के कदीमी रास्ता है। जो सैकड़ों वर्षो से बतौर रास्ते के काम में लिया जा रहा है व प्रतिवादी बावरी जाति के मृतक को इस श्मशान भूमि में जलाने के लिए ले जाने का व इस हेतु आने जाने का एक मात्र रास्ता है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। पद संख्या दो पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है, जिसे नामंजूर करते है। वादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित नजरी नक्शा पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है। खसरा नम्बर 1024 व 1027 की पूर्वी माठ व खसरा नम्बर 1026 की माठ यानि उक्त तीनों खसरों के बीच से खसरा नम्बर 1030 जो सरकारी भूमि से 1025/1 गै0मुमकिन श्मशान रकबा 02-12 बीघा में आने जाने का कदीमी रास्ता है, जिसमें प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के बावरी जाति के सदस्य एवं समस्त निवासीगण गांव फालका में करीब 60 परिवार व गांव पीपाड़ा के करीब 6-7 परिवार क्रमशः ग्राम फालका में 250-300 बावरी जाति के सदस्यों की उनके पिता प्रपिता के समय से यानि पिछलें सैकड़ों वर्षो से इनके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने से अपने गांव से मृतक को श्मशान में जलाने के लिए अगौर खसरा नम्बर 1063 की भूमि से होते हुए खसरा नम्बर 1027 व 1026 के बीच की माठ व खसरा नम्बर 1024 व 1026 की बीच की माठ से होकर खसरा नम्बर 1025/1 श्मशान भूमि में ले जाकर दाह संस्कार करते आ रहे है। इस हेतु इस रास्ते को सैकड़ों वर्षो से लगातार बतौर रास्ते के काम में लेते आ रहे है व खसरा नम्बर 1027 व 1024 में प्रतिवादी का श्मशान भूमि में जाने का कदीमी व परम्परागत रास्ता है व खसरा नम्बर 1027, 1026 व 1024 के बीच की माठ पर कोई रास्ता नहीं निकलने का कथन रास्ते के अवशेष नहीं होने के कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है। जिसे प्रतिवादीगण नामंजूर करते हैं व इस खसरा नम्बर 1027 व पूर्वी माठ पर वादीगण की पूरानी पत्थरों की दीवार होने का कथन पूर्णतया गलत हैं बल्कि वादीगण ने रास्ते में बाधा व अतिक्रमणः पैदाकर खसरा नम्बर 1027 व 1024 की पूर्वी माठ पर ताजा अतिक्रमण कर रास्ते को रोका। यह दीवार पूरानी व कदीमी होने का कथन गत है व अस्वीकार है व इसी प्रकार खसरा नम्बर 1027 व 1024 की पूर्वी माठ वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से पुरानी खन्दक लगी हुई होने इस खन्दक पर पुरानी कांटों की बाड़ होने का कथन पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है व गलत व असत्य है व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1025/1 में जाने का कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में नहीं होने का व न कभी पूर्व में होने के कथन गलत, झूठे व असत्य है। बल्कि खसरा नम्बर 1027 व 1026 तथा खसरा नम्बर 1024 व 1026 के मध्य कदीमी रास्ता है। जिसे वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर रोका गया है। इस बाबत् प्रतिवादीगण ने वादीगण रामलाल उर्फ रामदीन, किशनाराम, जसाराम, भंवरी, मोकली, बाबूड़ी, बगदाराम, सायरी, सीता व सहायक अभियन्ता जे. वी. वी. नि. लि. के विरूद्ध तहसीलदार जैतारण के समक्ष दिनांक 07.07.2005 को मय नजरी नक्शा के पेश किया। जिसकी प्रमाणित प्रति पेशे की जा रही है। जिसे जवाबदावा का एक भाग माना जावें व तहसीलदार जैतारण के प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर माफिक कानून ग्राम पंचायत फालका को सुनवाई व निर्णय के लिए अन्तरित किया। जिस पर ग्राम पंचायत फालका द्वारा वादीगण को नोटिस जारी कर जवाब मांगने पर वादीगण द्वारा धारा 251 आर.टी.एक्ट. के प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत किया है, जिसे जवाब की मय शपथ पत्र व नजरी नक्शा के प्रमाणित

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण(पाली)

प्रति साथ पेश की जा रही है व ग्राम पंचायत द्वारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र का निर्णय दिनांक 01.09.2005 को किया व कदीमी रास्ता श्मशान भूमि को होना व रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता रोकना वादीगण द्वारा रास्ते में अतिक्रमण करना साबित मानकर रास्ते से अतिक्रमण हटाकर रास्ते को बहाल करने का निर्णय दिया। ग्राम पंचायत फालका का निर्णय दिनांक 01.09.2005 की प्रमाणित प्रति जवाब के साथ पेश की जा रही है। जिसे जवाब का एक आवश्यक भाग माना जावें व वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत फालका के खसरा नम्बर 1026 व 1024 तथा 1027 व 1024 के मध्य स्थित रास्ते के निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने राजस्व अपील संख्या 15/2005 निर्णय दिनांक 09.12.2005 के द्वारा ग्राम पंचायत फालका के निर्णय दिनांक 01.09.2005 को निरस्त किया है। इस निर्णय की प्रमाणित फोटो प्रति जवाब दावा के साथ पेश की जा रही है। प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली की राजस्व अपील संख्या 15/2005 अपीलांट रामाराम व अन्य बनाम रेस्पोडेंट ग्राम पंचायत फालका बावरी जाति के पंच प्रतिनिधिगण केलाराम वगैरा निर्णय दिनांक 09.12.2005 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी याचिका पेश की जो विचाराधीन व आज दिनांक 29.03.2006 को बहस के लिए पेशी मुकर है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है, जिसे प्रतिवादीगण नामंजूर करते है। ग्राम पंचायत फालका द्वारा वादीगण से कोई राजनैतिक द्वेष होने व व्यक्तिगत द्वेष होने व हानि व पहुंचाने की भावना होने व प्रतिवादीगण से मिलावट करने के अरोग्य पूर्णतया गलत व बेबूनियाद व झूठे है। वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में जानबूझकर नये सिरे से खसरा नम्बर 1025/1 गैर मुमकिन श्मशान के लिए नया रास्ता कायम करने का कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है, जिसे प्रतिवादीगण नामंजूर करता है। ग्राम पंचायत फालका द्वारा उक्त मौका स्थिति के कदीमी रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट जो ग्राम पंचायत फालका के पंचों द्वारा मौका देखा गया। उसमें भी कदीमी रास्ता मौके पर होना व रास्ते पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण करने व रास्ता रोकने के तथ्य रिपोर्ट में स्पष्ट से अंकित है। ग्राम पंचायत फालका की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.08.2005 की प्रमाणित प्रति जवाब दावे के साथ पेश की जा रही है, जिसे जवाब का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादपत्र के पद संख्या 04 व 05 पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है जिसे प्रतिवादीगण नामंजूर करते है। प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के श्मशान भूमि के रास्ते में अतिक्रमण कर एक मात्र रास्ते को बंद कर दिया है व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत दण्डनीय अपराध है, इस अधिनियम के तहत जिला कलक्टर साहब पाली, पुलिस अधीक्षक पाली, उपखण्ड अधिकारी जी जैतारण, तहसीलदार जैतारण व एस.एच.ओ. पुलिस थाना आ0कालू की सूचना तथा नोटिस के बावजूद भी उक्त अतिक्रमण हटाकर रास्ता नहीं खोला गया है। जो कि इन व्यक्तियों का ऐसा करने का कानूनी दायित्व व जिम्मेदारी है। जो उक्त अधिनियम की धारा-4 के तहत रास्ता नहीं खोलने का पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का कृत्य दण्डनीय अपराध है। वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत फालका की शह से व सिखावट में आकर जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर खेतों के बीच में माठ से नये सिरे से रास्ता कायम करने का कथन पूर्णतया गलत है व अस्वीकार है बल्कि कदीमी रास्ता है जिसमें वादीगण ने अवरोध पैदाकर अतिक्रमण किया है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के परिवार के सदस्यों द्वारा झगड़ा करने पर उनके विरूद्ध एस.सी. एस.टी. एक्ट का अपराधिक प्रकरण अनुसूचित जाति

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(पाली)

जनजाति के विशिष्टि न्यायालय पाली में विचाराधीन है व वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को धमका रहे है एवं ऐसा कर अपराध कर रहे है। विधायक सुरेन्द्र गोयल की मदद से अवैधानिक व गैर कानूनी रूप से कृत्य करने पर तुले हुए है। प्रतिवादीगण द्वारा झगड़ा करने का कथन गलत है व पूरी माठ पर कदीमी रास्ता है नया रास्ता निकालने का कथन गलत है। व झूठे मुकदमें में फसाने का कथन गलत है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पूरा फिकरा गलत है व अस्वीकार है व प्रतिवादीगण के श्मशान भूमि की जमाबन्दी खतौनी व मौका स्थिति के नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति जवाब के साथ पेश की जा रही है। जिसे जवाब का आवश्यक भाग माना जावे। वाद पत्र के पद संख्या 6 से 8 कतई गलत व बेबूनियाद है, जिसे प्रतिवादीगण नामंजूर करते है। अतः वादीगण का वादमय खर्चे हर्जे के खारिज फरमावे।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में शहादत के साक्ष्य शपथपत्र वादी पीडब्ल्यू-1 पेश किए, जो सामिल मिसल है। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई। वादीगण रामदीन वगैराह ने वाद के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कि जो शामिल मिसल है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर गौर कर मनन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है।

1. वादीगण द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम फालका में खसरा नम्बर 288, 431, 443, 1022, 1024, 1027 व 1029 कुल रकबा 89-11 बीघा आई है। वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1027 व खसरा नम्बर 1026 के बीच से होता हुआ है व खसरा नम्बर 1024 के रकबा की मांठ व खसरा नम्बर 1026 की माठ पर मौके पर कोई रास्ता नहीं निकलता है व न ही मौके पर कभी रास्ता के अवशेष है। वादीगण के खसरा नम्बर 1027 की पूर्वी ओर माठ 100 फीट में पत्थरों की पक्की दीवार है, जो पुरानी है व इसके आगे खसरा नम्बर 1027, 1024 की पूर्वी ओर की मांठ वक्त सैटलमेन्ट के पूर्व से पुरानी खन्दक लगी हुई है। इस प्रकार वादीगण की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 1027 व 1024 में से व माठ से प्रतिवादीगण के श्मशान खसरा नम्बर 1025/1 में जाने का कोई रास्ता मौके पर वर्तमान में नहीं है व न कभी था। अतः वादीगण को खसरा नम्बर 1027, 1024 की कृषि भूमि में काश्त के मुताबिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई व कटाई करें तो प्रतिवादीगण व उनके वारिसान, हाली, एजेन्ट आदि दखल व दस्तन्दाजी नहीं करें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे।
2. प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 1027 व 1024 की पूर्वी माठ के पास स्थित खसरा नम्बर 1026 व 1027 व खसरा नम्बर 1026 व 1024 की बीच की माठ से होकर खसरा नम्बर 1025/1 गैर मुमकिन श्मशान भूमि में जाने के कदीमी रास्ता है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चे हर्जे के साथ खारिज फरमाया जावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (राज.)

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम फालका की वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण वादग्रस्त आराजी की अभिलिखित खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–1 ग्राम फालका की जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 खसरा नम्बर 288, 431, 443, 1022, 1024, 1027, 1029 में वादीगण रामदीन, किशनाराम, जसाराम पि0 दयाल बतौर खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बरान् का ट्रेस नक्शा। प्रदर्श–3 दिनांक 24.08.2008 को नायब तहसीलदार जैतारण व पटवारी पटवार हल्का फालका द्वारा तैयार वादग्रस्त आराजी का फर्द मौका रिपोर्ट जिसमें *''खसरा नम्बर 1022, 1024, 1027, 1029 के चारों माठो पर बहुत पुराने सालों के पेड़, निम्ब, जालकी व खेजड़ी के खड़े है। श्मशान में जाने का वर्तमान समय से काफी समय से शव खसरा नम्बर 1031 नाड़ी एवं खसरा नम्बर 1037 डोकी मे से होकर ले जाते है''* का अंकन है। वादी जसाराम पुत्र दयालाराम ने वादपत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र PW-1 पेश किया। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में वर्णित कथनों के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है कि प्रदर्श–1 ग्राम फालका की जमाबन्दी आधार वर्ष 2005 खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गै0मु0 श्मशान तथा खसरा नम्बर 1031 किस्म गै0मु0 नाडी का अंकन है। प्रदर्श–2 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली राजस्थान कोर्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अपीलान्टस रामाराम वगैरह बनाम रेस्पोडेन्टस ग्राम फालका व पीपाड़ा तहसील जैतारण के बावरी जाति के पंच प्रतिनिधिगण वगैरह में जारी निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि।

4. चुंकि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है तथा प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक अधिकार नही होनें के बवाजूद वादग्रस्त के खसरा नम्बर 1024 व 1027 की माठ पर अतिक्रमण कर खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गै0मु0 श्मशान तक जाने हेतु नये सिरे से रास्ता निकालने को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है और यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। वादग्रस्त आराजी बन्दोबस्त से निरन्तर वादीगण के दादा पिता एवं वादीगण के नाम दर्ज रही है तथा प्रत्येक अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी भूमि को अतिक्रमण एवं विधिविरूद्ध दखलअन्दाजी को रूकवाने का अधिकार रखता है लेकिन वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गै0मु0 श्मशान जो कि प्रतिवादीगण के श्मशान की भूमि है जिसमें आने जाने के लिये अन्य कोई अभिलिखित रास्ता नहीं होने से प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 1024 व 1027 की माठ के सहारे प्रचलित एवं कदमी रास्ता का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है तथा अन्य विकल्प नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण को उक्त चलायमान रास्ते के उपयोग–उपभोग करने से रोकना विधिसंगत एवं उचित नहीं होगा।

उपरोक्त समस्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजों तथा साक्ष्य शपथपत्र के आधार पर स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1024 व 1027 ''जो कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की आराजी है'' की सीमा से लगते ही अन्य खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गैर मुमकिन श्मशान तक आने जाने के लिए प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग आने वाले चलायमान कदमी रास्ता जिसे लेकर वर्तमान में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

अतः हस्तगत वादपत्र के बखूबी साबित होने से व सारवान होने इसे स्वीकार करते हुए वादीगण की ग्राम फालका की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1024 व 1027 में प्रतिवादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदार आराजी में किसी प्रकार दखलादांजी व अतिक्रमण करने से तथा वादीगण को खसरा नम्बर 1024 व 1027 की माठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गैर मुमकिन श्मशान में आने जाने के लिए चलायमान कदीमी रास्ता में किसी प्रकार की दखलदांजी व अतिक्रमण न स्वयं और न अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली एजेण्ट के माध्यम से करने से जरिये शाश्वत निषेधज्ञा से पाबन्द किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान् होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिए शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम फालका के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1024 व 1027 जो कि वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है उसमें किसी प्रकार दखलदांजी व अतिक्रमण न स्वयं और न अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली एजेण्ट के माध्यम से करें तथा वादीगण को जरिए शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 1024 व 1027 की माठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गैर मुमकिन श्मशान में आने जाने के लिए चलायमान कदमी रास्ता को प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग उपभोग करने पर किसी प्रकार कि कोई दखलादांजी न करे तथा किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट न स्वयं और न अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली एजेण्ट के माध्यम से कारित करे। वादपत्र इसी मुताबिक विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/07/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला– ब्यावर (राज.)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादीगण ::– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण ::–**

1. रामदीन पुत्र दयाल के
   का0मु0
   1/1. लखाराम पुत्र रामदीन
   1/2. सुखदेव पुत्र रामदीन
   1/3. दौलतराम पुत्र रामदीन
   1/4. दुर्गादेवी पुत्री रामदीन
   1/5. मंजू पुत्री रामदीन
2. किसनाराम पुत्र दयाल
3. जस्साराम पुत्र दयाल
   जातियान– जाट,
   निवासीगण– फालका,
   तहसील– जैतारण,
   जिला ब्यावर।

1. केलाराम पुत्र भँवरूराम
2. घासीराम पुत्र भँवरूराम
3. ढगलाराम पुत्र छगनाराम
4. छोटूराम पुत्र नारायणराम
5. चम्पालाल पुत्र भोलाराम
6. बाबूलाल पुत्र भँवरूराम
7. मोहनलाल पुत्र बीदाराम के
   का0मु0
   7/1. ढगलाराम पुत्र मोहनलाल
   7/2. भगवती पुत्री मोहनलाल
   7/3. अनोप पुत्री मोहनलाल
   7/4. नोरती पुत्री मोहनलाल
   7/5. इन्द्रा पुत्री मोहनलाल
   7/6. दरियाव पुत्री मोहनलाल

   जातियान– बावरी, निवासीगण– पिपाड़ा, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 122/2005

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद–वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा–188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान् होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिए शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम फालका के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1024 व 1027 जो कि वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है उसमें किसी प्रकार दखलदांजी व अतिक्रमण न स्वयं और न अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली एजेण्ट के माध्यम से करें तथा वादीगण को जरिए शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 1024 व 1027 की माठ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1025/1 किस्म गैर मुमकिन श्मशान में आने जाने के लिए चलायमान कदमी रास्ता को प्रतिवादीगण द्वारा उपयोग उपभोग करने पर किसी प्रकार कि कोई दखलादांजी न करे तथा किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट न स्वयं और न अपने रिश्तेदार, नौकर चाकर हाली एजेण्ट के माध्यम से कारित करे। वादपत्र इसी मुताबिक विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड–अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/07/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जिला– ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	07-00	स्टाम्प वकालतनामा	04-00
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील	–	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	02-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–	11-00	मिजानः–	04-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।